

फर्द अहकाम

बनाम 01942

नाम न्यायालय NCFM (F.N) शाहद
 केस संख्या 278/14 दवा 53, 188 A.T.A.L

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
	<p>01 गा.ब.स. 25-517</p>	<p>इसमें घर का श्रम कर देखा है। उक्त आराजी अर्जित गन्ना उतने लगती हुई है। प्रतिवादी गण आने हुए आराजी में परेशानी पैदा करने लगी है। काचूरी बटवारे के तू यदि खिन्ना विवेदन करने पर भी बटवाटे के तू तैयार नहीं है। इतिहास में आराजी पर पुराना तामील वही भी चयन है वही है। जिस कारण सब शाहदारी में काचूरी का सार्वजनिक नहीं हुआ है। इतिहास 28-7-2016 को वादीगण अपने दिवसी 1/2 में आराजी में काचूरी की विवेदन उठाने के तू प्रतिवादी गण काचूरी का सार्वजनिक वादीगण को काचूरी में देखने पैदा करने लगे। मुख्य उक्त परेशानी से आराजी तक देखना आवासी। उक्त में शान्त काचूरी कर दिया। जिससे वादीगण को आराजी में उवेश हुआ है गन्ना आने हुए के बिना काचूरी काचूरी करने के तू आपकी सहायता से बटवारा करने के तू कदम पर वादीगण के साथ आवासी किया हो गए काचूरी बटवारे के तू काचूरी रूप से इन्कारी हो गए। एवांकिमा चयन की की काम किसी भी करत नए उन दिन उतवादिमा को काचूरी बटवारा नहीं किया। किसी बिबिध कर भाग पर भ्रमशील्य प्रस्ता निर्माण करेंगे। इतिहास में बिबिध कर वादीगण को देखने करके रहेगे। इतिहास में उक्त कर करेंगे। जिस कारण आवासी में वाद पैदा करना आवश्यक हुआ। उक्त में बिबिध कर का कि आराजी काचूरी बटवारा नहीं हुआ तो उक्त वादीगण बिबिध कर भाग को विवरण में उक्त कर करने शान्त अवस्था करने से वादीगण के बिबिध</p>	

फर्द अहकाम

श्री लक्ष्मण वनाम गोपाल

न्यायालय (C.F.M.C.F.) शांतिपुर

संख्या 278/16 द.बा 53, 188 द.ग. अ.न.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>दिनांक 25-5-17</p>	<p>अज्ञातों के मरुतम होना पड़ेगा। पक्षों के प्रस्तुत करने पर परतपट्ट रुकनेवादी बंधनी। उद्दिवादीगण को अदालत के लिखे शर्तों के अन्तर्गत में पावन किया जावे। वादीगण के हितों में ऊँचे कृषि बटवारे से अपभोग उपभोग में कृषि उद्धार की मजदमरत फेर नहीं होना ही शर्त। अवश्य कहे। वादीगण को शांति पूर्वक अदालतों में ऊँचे कृषि पर कायम ले देवे।</p> <p>शर्तों वादीगण शर्तों पर लिखित किया गया। उद्दिवादी नोटिस जारी किया गया। उद्दिवादीगण ने कोई उल्लेख नहीं है। उनमें किसी भी परिणाम कार्रवाई आदालत में नहीं जारी है। दिनांक 22/3/17 को शर्तों वादी उपस्थित (डिफेंडेंट) किया जाकर तदुद्धार शांतिपुर में शर्तों कोड के सिद्धों के अनुसार विवाहित कृषि के बटवारा उस्ताव लिख गए। तदुद्धार शांतिपुर से दिनांक 25/4/17 में बटवारा उस्ताव उपर कृषि कोपवाचकी के रिपोर्ट पर दिनांक 3-5-17 को रिपोर्ट पर लिखा गया। वादीस-2 के हितों की कृषि रक्तन है। तदुद्धार शांतिपुर से उपर बटवारा उस्ताव पर वादी अज्ञातों को सुना गया। उद्दिवादी बटवारा उस्ताव पर अपनी सहमत है। शर्तों बटवारा उस्ताव न के ल उद्धार की व गन्ना देस मा अज्ञातन किया। उद्दिवादी उद्धार की वादी व उद्दिवादीगण तरती वी उद्दिवादी सक्षम बटवारा देवे रिपोर्ट है। इसके अलावा अन्य कृषि नही है। जिसका उस्तुत बाद में बटवारा जारी होगा। बटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः शर्तों वादीगण को तदुद्धार शांतिपुर के अनुसार अन्तिम डिफेंडेंट</p>	

न्यायालय, शांतिपुर (फरद) 278/16 द.बा 53, 188 द.ग. अ.न.
शांतिपुर जिला - जयपुर (राज.)

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

बनाम गणपत
ACEM (F.N) शाहपुर

केस संख्या

228/16 शीमा 53,188

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	<p>25/5/17</p>	<p>किमा बाता है। आ-ख-न 1343/0-26, 1344/0-19, 1345/0-23, 1346/0-54, 1347/1-13 कुल किता 5 रकबा 2-35 दे-सट-वाके राजमखवा किमा का बास वरु-शाहपुर खोरेशन के मध्य सिम बर बाटा किमा बाता है इहे फुकर-2 खोरेशट मोशतकार पोरित किमा बाता है।</p> <p>(1) वारी व-1 बगा-3 व वरीबी उरिमदीगण स-24 ले 28 के फिस्ते मे 1347 रकबा 1-08 90, 1346 रकबा 0-0385 कुल किता 2 रकबा 1-1275 दे-रेगेगा।</p> <p>(2) उरिमदीगण स-1 बगा-21 के फिस्ते मे 1343/2 1344/2, 1345/2, 1346/2 कुल किता 4 रकबा 1-1275 दे-रेगेगा</p> <p>नोट- 1343/1, 1344/1, 1345/1, 1346/1, 1347/1 दे- कुल किता 5 रकबा 0-0950 दे- शाहपुरी शास्त्रे मे रहेगे।</p> <p>फिरोज बरबारा व उम्मा इम निर्णय मो जुज रहेगा। तदनुसार शकस्व रिमडि मे अगल दशमद किमा जावे।</p> <p>पहल बाराग को रूपायी विवेचाला से पावद किमा बाता है कि वे बरबारा अनुसात एक कुल के रुब मे किमी उमाद मे मलाइमत पैदा रही रहे। गली शास्ता अवबद करे। पर्या डिनी जारी को। आदेश खुदगमा गमा। मलाबली विणित उउमार दौकर बाद उमरीख दाखिल स्फुदर को।</p>	

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (आस्ट ट्रेक)
शाहपुर जिला-राजपूर (राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर
(राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प कोर्ट)

पृष्ठ - 5

कैम्प का स्थान :- नायन

दिनांक :- 25.05.2017

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय, उपखण्ड अधिकारी (शाहपुरा)

उनवान

1. फूलचन्द पुत्र लक्ष्मण
2. गोकूल प्रसाद पुत्र लक्ष्मण
3. पूरणमल पुत्र सूरजमल
समस्त जातियान मीणा, निवासीयान नायन, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गणपत पुत्र बाल्या
2. गिरधारी पुत्र बाल्या
3. जगदीश
4. कंवर सिंह } पुत्र हनुमान
5. चौथमल } पुत्री हनुमान
6. विमला } पुत्री हनुमान
7. रामेश्वरी } पुत्री हनुमान
8. प्रभाती देवी पत्नी स्व0 घीसा
9. कैलाश
10. मदन } पुत्र घीसा
11. सन्तरा } पुत्री घीसा
12. सुमित्रा } पुत्री घीसा
13. अनिता } पुत्री घीसा
14. राजू
15. रामोतार } पुत्र भगवाना
16. हरिसिंह } पुत्र भगवाना
17. कौशल्या } पुत्री भगवाना
18. सुशीला } पुत्री भगवाना
19. सुमन } पुत्री भगवाना
20. विकास पुत्र सोन्या
21. अणची बेवा सोन्या
समस्त जातियान मीणा, निवासीयान नायन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
22. राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
23. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

पतिवादीगण

24. प्रभाती देवी पत्नि सूरजमल
25. सायरमल पुत्र सूरजमल
26. किरण पुत्री सूरजमल
27. चन्दा पुत्री सूरजमल
28. विजय पुत्र सूरजमल
समस्त जातियान मीणा, निवासीयान नायन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
29. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ, जिला जयपुर सीकर (राज0)

तरतरबी प्रतिवादीगण

दावा बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 278/2016

निर्णय दिनांक :- 25.05.2017

इस वाद में आज दिनांक 25/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नायन में (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री रवि विजय(आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर दावा वादीगण मुताबिक रिपोर्ट बटवारा अन्तिम डिग्री किया जाता है तथा आ.ख.न. 1343/0.26, 1344/0.19, 1345/0.23, 1346/0.54, 1347/1.13 हैक्ट. कुल किता 5 रकबा 2.35 हैक्ट. वाके ग्राम कलवालियों का पास पटवार हल्का नायन तहसील शाहपुरा का खातेदारान के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार निम्नानुसार बटवारा कर उन्हें पृथक-पृथक खोतेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक)

1. वादी सं. 1 लगायत 3 व तरतीची प्रतिवादीगण सं. 54-28 के हिस्से में 1347/2 रकबा 1.0890, 1346/3 रकबा 0.0385 कुल किता 2 रकबा 1.1275 हैक्टे. के बटवारे में रहेगा।
2. प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 21 के हिस्से में 1343/2 रकबा 0.2570, 1344/2 रकबा 0.1870, 1345/2 रकबा 0.2180 हैक्टे है 1346/2 रकबा 0.4705 कुल किता 4 रकबा 0.1275 हैक्टे रहेगा।
3. 1343/1 रकबा 0.0030, 1344/1 रकबा 0.0080 हैक्टे., 1345/1 रकबा 0.0120, 1346/1 रकबा 0.0310, 1347/1 रकबा 0.0410 हैक्टे. कुल किता 5 रकबा 0.0950 हैक्टे. शामिल रास्तों में रहेगा।

तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। रिपोर्ट बटवारा व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुजु रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बटवारा अनुसार एक दूसरे के कवजे में आई भूमि किसी प्रकार मजाहमत पैदा नहीं करे नाही रास्ता अवरुद्ध करें।

यह आज दिनांक 25/05/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(रवि विजय)

सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं (राज.)
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	